*ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक-03/ना०सु०-12-31/2026 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक-

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2026-27 में नगर पंचायत, संग्रामपुर क्षेत्रान्तर्गत सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु राशि कुल ₹170.30700 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख तीस हजार सात सौ रू0) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल राशि ₹20.00 लाख (बीस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान के रुप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः- **स्वीकृत।**

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, संग्रामपुर द्वारा नगर पंचायत, संग्रामपुर क्षेत्रान्तर्गत सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जिसके भूमि की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र०सं०	मौजा/थाना	खाता	खेसरा	रकवा	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
01	झिकुली/296	273	1224	01 एकड़ 4 डी०	

2. उक्त अनुरोध के आलोक में नगर पंचायत, संग्रामपुर क्षेत्रान्तर्गत तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ-6 में मॉडल प्राक्कलन के अनुसार अंकित कुल राशि ₹170.30700 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख तीस हजार सात सौ रू0) मात्र के अनुरूप सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ-7 में अंकित तत्काल राशि ₹20.00 लाख (बीस लाख रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष, 2026-27 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति नागरिक सुविधा मद से निम्नवत प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	पी० एल० संख्या	HOA	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	नगर पंचायत, संग्रामपुर	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	MGRPLA 014	00-8448-00-102-0003-00-01	170.30700	20.00	150.30700

3. उक्त स्वीकृत राशि **₹20.00 लाख (बीस लाख रूपये) मात्र** के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 236, दिनांक- 09.03.2026 में निहित

अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निकाय के संबंधित PL खाता संख्या तथा HOA में CFMS के माध्यम से Inter** Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*

4. स्वीकृत कुल राशि **₹20.00 लाख (बीस लाख रूपये) मात्र** की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217– शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघुशीर्ष– 193– नगर पंचायतों–अधिसुचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष– 0104– नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें– सहायक अनुदान विपत्र कोड–48-2217031930104, विषय शीर्ष 0104.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण की जायेगी।

5. बिहार कोषागार सहित के नियम– 286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

6. योजना का कार्यान्वयन ई०–टेंडरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

7. उक्त योजना का कार्यान्वयन नगर पंचायत, संग्रामपुर द्वारा कराया जायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355वि(2), दिनांक– 05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–03/ना०सु०–12–31/2026 के पृष्ठ सं०–.........13...../टि० पर दिनांक–18.06.26...... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–.....15........... /टि० पर दिनांक–25.06.26........ को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–03/ना०सु०–12–31/2026 91 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–03/07/26

प्रतिलिपि:– प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, संग्रामपुर /कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।